FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (कुरबड़ा)
(नीमकाथाना–भूदौली सड़क वेयर हाऊस से कुरबड़ा अण्डरपास तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 मु0नं0 232 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक राजस्व/2025/730 दिनांक 12.05.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, मौके पर डामर रोड़ बनी हुयी है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **कुरबड़ा** पटवार मण्डल **आगवाड़ी** तहसील नीमकाथाना स्थित **भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 0.71 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.0360 हैक्ट., खसरा नम्बर 827/192 रकबा 0.6704 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0. 0980 हैक्ट., खसरा नम्बर 195 रकबा 0.10 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 196 रकबा 0.28 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.0180 हैक्ट. , खसरा नम्बर 197 रकबा 0.39 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 216 रकबा 0.42 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 217 रकबा 0.27 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 219 रकबा 0.31 हैक्ट. किस्म बारानी–I मे से 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 200 रकबा 0.30 हैक्ट. किस्म बारानी–I मे से 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 202 रकबा 0.4556 हैक्ट. किस्म चाही–III मे से 0.09 हैक्ट., खसरा नम्बर 204 रकबा 0. 78 हैक्ट. किस्म चाही–III मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 213 रकबा 0.45 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 212/2 रकबा 0.45 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 205 रकबा 0.57 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.0230 हैक्ट., खसरा नम्बर 252 रकबा 0.73 हैक्ट.**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:45:28 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी

किस्म चाही–I मे से 0.0360 हैक्ट., खसरा नम्बर 258 रकबा 0.85 हैक्ट. किस्म बारानी–I मे से 0.01 हैक्ट., खसरा नम्बर 882/254 रकबा 0.24 हैक्ट. किस्म बारानी–I मे से 0.0160 हैक्ट., खसरा नम्बर 143/2 रकबा 0.1314 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.0130 हैक्ट., खसरा नम्बर 274 रकबा 1.02 हैक्ट. किस्म चाही–I में से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 278 रकबा 1.11 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 900/285 रकबा 0.2950 हैक्ट. किस्म चाही–I मे से 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 901/285 रकबा 0.2950 हैक्ट. किस्म चाही–I में से 0.0040 हैक्ट., कुल 09 मीटर चौड़ा व 1000 मीटर लम्बाई गै.मु.रास्ता नीमकाथाना–भूदौली सड़क वेयर हाऊस से कुरबड़ा अण्डरपास तक तक का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत कुरबड़ का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के संलग्न जमाबन्दी, भू–नक्शा, गुगल नक्शा, फोटोग्राफ, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही [illegible] **तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश [illegible] अभिन्न भाग रहेगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.06.19 10:45:2
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)